न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध एन. ए. का प्रकरण संख्या 47/2025

(GCMS: 2025/390)

1. **शारदा** पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **भीमसेन** पुत्र नरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. **धर्मवीर** पुत्र नरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **भारत सरकार** जरिये रक्षा सचिव, नई दिल्ली
2. **Forward Composite Aviation Base, स्थित लालगढ़ कैंट,** लालगढ़ जाटान, तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी एडीएम कमांडेट लालगढ़ जाटान
3. **भूमि अवाप्ति अधिकारी** एवं उपखण्ड अधिकारी, राजस्व सादुलशहर

17.04.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसील सादुलशहर की चक 21 एसडीएस में एफ.सी.ए.बी. हेतु 132.825 हैक्टेयर भूमि में भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन एवं उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रार्थीगण की चक 21 एसडीएस के खाता संख्या 4/4 की 2.34 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 39/39 में आवेदकगण के पिता के नाम 1.4752 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है, के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत अधिक मुआवजा या प्रतिकर दिलाने एवं प्रार्थी को दिये जाने वाला मुआवजा व प्रतिकर का प्रभाजन करने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम में जिला कलक्टर को प्रदत्त शक्तिया सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को दी गई है। इसलिए इस प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है।

मैनें, प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने तहसील सादुलशहर की चक 21 एसडीएस में एफ.सी.ए.बी. हेतु 132.825 हैक्टेयर भूमि में भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन एवं उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रार्थीगण की चक 21 एसडीएस के खाता संख्या 4/4 की 2[illegible] एवं खाता संख्या 39/39 में आवेदकगण के पित[illegible] की गई है, के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 64 के अन्त[illegible] अधिक मुआवजा या प्रतिकर दिलाने एवं प्रार्थी को दिये जाने वाला मुआव[illegible] प्रतिकर का प्रभाजन करने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त प्रकरण की शक्तियां सम्बन्धित उपखण्ड अधिकरी को होने के कारण, प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

विविध एन.एच प्रकरण संख्या 47 / 2025
GCMS No. 2025/390
शारदा वगै.(2) बनाम भारत संघ एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 64 निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **64. प्राधिकरण का आदेश** – (1) ऐसा कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, **कलक्टर को लिखित आवेदन द्वारा** यह अपेक्षा कर सकेगा कि **कलक्टर द्वारा** उस मामले को चाहे उसका आक्षेप, यथास्थिति, भूमि के माप के प्रति, प्रतिकर की रकम के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, जिसको वह संदेय है, अध्याय 5 और अध्याय 6 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के अधिकारों के प्रति हो या हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के प्रभाजन के प्रति हो, प्राधिकरण के अवधारण के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाए :
>
> परन्तु **कलक्टर, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी को निर्देश करेगा:**
>
> परन्तु यह और कि **जहां कलक्टर ऐसा निर्देश** इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, वहा आवेदक, यथास्थिति, प्राधिकरण को उससे यह अनुरोध करते हुए आवेदन का सकेगा कि **कलक्टर को तीस दिन की अवधि के भीतर उसे निर्देश करने का निर्देश दिया जाए।**
>
> ....

संयुक्त सचिव, राजस्व(ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 1(51)Rev-6/2014/31 dated 28.08.2015 के द्वारा सभी उपखण्ड अधिकारियों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया गया है। **संयुक्त सचिव, राजस्व(ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 1(51)Rev-6/2014/31 dated 28.08.2015 निम्नानुसार अवलोकनीय है :**

> NOTIFICATION
>
> In exercise of the powers conferred by clause(g) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitaion and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), **the State Government hereby designate all the Sub-Divisional Officers to perform the functions of a Collector under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction.**

चूंकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 64 की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उक्त अधिसूचना अनुसार सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को है, [illegible] प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को स्थानान्तरित किया जाता है। **मूल पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।** यह आदेश आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:51 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अमित यादव)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर